

वेतन/अवकाश वेतन पर्ची
शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश
नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचेहरी रोड, प्रयागराज

संख्या 2853

/वे०प्र०प०/न्यायिक/ई०आर०पी०-A-439

दिनांक: 03/09/23

श्री अंकित कुमार मित्तल
विशेष न्यायाधीश, अनन्य विशेष न्यायालय (8C/81)
महाराजगंज

उ०प्र०, शासन नियुक्ति अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-359/दो-4-2023-45(1)2020 दिनांक 30.06.2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-534/दो-4-2023-45(1)/2020 दिनांक 07.07.2023 के अधीन दी गई तारीखों से निम्नलिखित मासिक दरों पर वेतन/अवकाश वेतन और भत्ते लेने का हकदार है।

पूर्व आहरित धनराशि के समायोजन एवं कटौतियों से प्रतिबंधित

| ब्योरे किस तारीख से | वेतनमान/पे मैट्रिक्स में मूल वेतन | मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते | योग | टिप्पणी |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| 18-03-2020 | 144840 | टिप्पणी के अनुसार | | नोट-1:- मूलवेतन पर मंहगाई भत्ते का भुगतान निम्नलिखित दरों पर देय होगा। 01.01.2016-0%, 01.07.2016-2%, 01.01.2017-4%, 01.07.2017-5%, 01.01.2018-7%, 01.07.2018-9%, 01.01.2019-12%, 01.07.2019-17%, 01.01.2020-17%, 01.07.2020-17%, 01.01.2021-17%, 01.07.2021-31%, 01.01.2022-34%, 01.07.2022-38%, 01.01.2023-42%. |
| 01-03-21 | 149190 | | | |
| 01-03-22 | 153670 | | | |
| 01-03-23 | 158280 | | | |
| | कार्यभार | | | नोट-2:-शासनादेश दिनांक 30.06.2023 के प्रस्तर 03 में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य 30% अन्तरिम राहत के रूप में भुगतान की गयी धनराशि का समायोजन करते हुए अवशेष का भुगतान एकमुश्त किया जाना है। |
| | होस्टे | | | नोट-3:-न्यायिक अधिकारियों को देय अन्य भत्तों का भुगतान पूर्व प्राधिकृत दरों के अनुसार अनुमन्य होगा। |
| | एफ | | | नोट-4:-01.01.2016 के पश्चात् अवकाश नगदीकरण का भुगतान निम्नवत देय होगा : 1- दिनांक से 30 दिन, मू०वे० 2- दिनांक से 30 दिन, मू०वे० 3- दिनांक से 30 दिन, मू०वे० 4- दिनांक से 30 दिन, मू०वे० 5- दिनांक से दिन का से०नि० न० मू० वे० |

5- वेतनमान/पे मैट्रिक्स 144840-154660 है प्रत्येक वर्ष की प्रथम मासिक तारीख को वेतन-वृद्धि देय होती है और अन्यथा कोई आदेश न होने पर अधिकतम रु० 154660 की स्थिति पर पहुँचने तक वेतन-वृद्धि ली जा सकती है।

टिप्पणी- (1) इस बात का विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त दरों के अनुसार बनाये गये प्रथम वेतन पर्ची के साथ यह पर्ची लगा दी जाय और प्रत्येक वेतन बिल के ऊपरी भाग पर हकदारी पंजी पृष्ठ संख्या लिखी जाये।
(2) यदि अन्यथा न कहा गया हो तो अन्तिम वेतन-पत्र में उल्लिखित निधि अभिदानों की कटौतियों और सरकार को देय राशियों की वसूलियां कर लेनी चाहिये।

पृष्ठांकन सं० : /वे०प्र०प०/न्यायिक/ई०आर०पी०-A-439 तद् दिनांक :
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कोषागार- महाराजगंज
विशेष सचिव, ईरला चैक अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
विशेष सचिव (वित्त) विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रति प्रेषित।
जब कभी यह इस सरकारी अधिकारी के नाम कोई वेतन प्रमाण-पत्र जारी करे उसमें ऊपर दिया गया वेतन का ब्योरा देना न भूले।

अपर निदेशक/उप निदेशक